

क्रमांक : प. 6 (2) वित्त/साविलेनि/2018

जयपुर, दिनांक : 31/10/2025

आदेश

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II में संशोधन।

राज्यपाल महोदय लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में निम्नांकित संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The existing Item 16 (except conditions mentioned in the column powers) of Appendix-XIII (SoP) of PWF&AR Part-II shall be substituted as under :-

S.No.	PARTICULARS	TO WHOM DELEGATED	POWERS
1	2	3	4
"16.	To accept Bids for all Original & Repair and Maintenance Works.	1. EB/TAC 2. CE 3. ACE 4. SE 5. EE <u>For PHED</u> 1. FC of RWSSMB 2. Empowered Procurement Committee (EPC) of RWSSMB (Only for Jal Jeevan Mission and AMRUT Mission) 2. CE 3. ACE 4. SE 5. EE	Full Powers Upto Rs. 1500 lacs Up to Rs. 750 lacs Up to Rs. 300 lacs Up to Rs. 75 lacs' Full Powers Upto Rs. 100 crores Upto Rs. 1500 lacs Up to Rs. 750 lacs Up to Rs. 300 lacs Up to Rs. 75 lacs"



(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
12. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।



संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR - 110 / 2025)